हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18-2-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु आगामी तारीख चाही गई वास्ते बहस 19-2-26 को पेश हो।
19.2-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा गया वास्ते बहस आवश्यक पत्रावली 25-2-26 को पेश हो।
25-2-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई वादिनी के अधिवक्ता ने कथन किया कि ख.सं. 408 रकबा 0.84 हैक्टर ख.सं. 419 रकबा 3.35 हैक्टर में 1.20 हैक्टर कुल रकबा 2.04 हैक्टर वाके ग्राम जाडला तहसील हिण्डोली स्थित कृषि भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा करीबन 40-45 वर्षों से चला आ रहा है अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के पिता को 20 हजार रुपये गिरवी रखी थी तथा कब्जा प्रतिवादीगण को दे दिया गया था प्रार्थिया ने मई 2021 के प्रथम सप्ताह में अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को कहा कि कब्जा गिरवी इकरारनामा हमें वापिस कर दो अपने पैसे ले लो तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये कब्जा छोड़ने से इन्कार कर दिया। अन्त में निवेदन किया किया वादिनी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को गये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने वादिनी के अधिवक्ता का विरोध करते हुए कथन किया किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि है

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीनी का कोई हक अधिकार नहीं है. क्योंकि इसका मालिकाना हक सरकार का होता है। राज्य सरकार को व स्थानीय सरकार को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।	
	हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक मात्र दस्तावेज खसरा पाँचसाला सम्वत 2078 की छाया प्रति पेश की है. इससे यह साबित नहीं होता की उक्त कब्जा वादिनी के खातेदारी का है. अथवा राजकीय भूमि का और न ही वादिनी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया है. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त विवादित आराजी राजकीय होना साबित किया है.	
	अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राजकीय भूमि होने व प्रार्थिया का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का टाइटल नहीं होने से प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं बनने से प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned with OKEN Scanner